

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 33 / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

प्रति,

कलेक्टर,

जिला-धमतरी, बालोद, कांकेर,

छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 313 तारांकित द्वारा श्री ओंकार साहू, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 313 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 03.12.2025 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

पृ.क्रमांक 34 / संचा.-वि.स. / 2025

प्रतिलिपि :-

खाद्य अधिकारी, जिला-धमतरी, बालोद, कांकेर, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 09/12/2025

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/12/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : शासकीय राशन दुकानों में चावल चोरी / अनियमितता / गबन संबंधी प्रकरण

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 313) श्रीओंकार साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सत्य है कि राज्य के धमतरी, बालोद, कांकेर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, विशेषकर चावल, के गबन, कमी / अनियमित वितरण के गंभीर मामले सामने आए हैं? (ख) यदि हाँ, तो कांकेर / धमतरी में वर्ष जनवरी 2023 नवम्बर 2025 के दौरान कितनी शासकीय राशन दुकानों में चावल की कमी, अनियमितता, हेरा-फेरी अथवा अवैध विक्रय के प्रकरण पाए गए? धमतरी जिले के दुकानों में कुल कितनी मात्रा (किंटल में) चावल का गबन / कमी दर्ज की गई तथा इसकी कुल अनुमानित वित्तीय राशि कितनी है? (ग) इन प्रकरणों में संबंधित संचालकों, स्व-सहायता समूहों, सहकारी समितियों, अधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक क्या विभागीय तथा दंडात्मक कार्यवाही की गई है? (घ) क्या सरकार इन अनियमितताओं की जांच हेतु विशेष जांच दल (SIT) गठित करने, ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ करने अथवा वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार (GPS ट्रैकिंग, ई-राशन पोर्टल, बायोमेट्रिक वितरण आदि) लागू करने पर विचार कर रही है?

Sent From : vidhan | Sent Date : 28/11/2025 10:47:42 |

Remark :

कले धमतरी बालोद
कांकेर